01. जगदीश प्रसाद पुत्र परसाराम यादव, जाति अहीर निवासी ढाणी अमरावाली बिदारा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
02. बोदू पुत्र परसाराम यादव जाति अहीर निवासी ढाणी अमरावाली बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
03. कैलाश पुत्र परसाराम यादव जाति अहीर निवासी ढाणी अमरावाली, बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. पंकज कुमार सिंघल पुत्र श्री बोदूराम सिंह, सिंघल जाति सिंघल निवासी खेतडी झुन्झुनू हाल निवासी ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयुपर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

––मुख्य रेस्पोडेन्ट

03. दयाल राम पुत्र नाथू,
04. प्रभूदयाल पुत्र नाथू,
05. पांचू पुत्र नाथू,
06. भगवान सहाय पुत्र नाथू,
07. सुरजी देवी पतनी भैरू,
08. गोठी देवी पत्नी बंशी,
09. गंगादेवी पत्नी रामकरण,
10. सजनादेवी पत्नी रामू समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी अमरावाली तहसील शाहपुरा जिलाजुयपर।

उपस्थितिः–

1. **श्री एन.के. यादव, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री निर्मल कुमार जैन एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**
3. **श्री सीताराम जाट, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 10 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 11.07.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में सरीक आराजीयात बाबत दोनों पक्षों में कदीमी समय से सीमा विवाद लम्बित रहा है जिसकी ताहीद अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में करते हुय भू प्रबन्ध विभाग द्वारा ईडीएस मशीन से सीमाज्ञान करने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को प्रदत्त किया गया था क्योंकि मौके पर पक्षकारान के मध्य नक्शा मौका मिलान नही होने के तथ्य भी बखुबी रूप से साबित था जिसके आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनावश्यक मुदमेंबाजी बढने की संभावना के मध्यनजर भी भू प्रबन्ध विभाग की टीम द्वारा ईडीएस मशीन से सीमाज्ञान किये जाने के तथ्यों की पुष्टि भी संस्वीकृत साबित है। ऐसे में प्रकरण केवल धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का नही होकर धारा 111 भू राजस्व

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिनियम से सम्बन्धित भी विवाद था ऐसी स्थिति सीमाज्ञान स्वयं लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा किये जाने का कानूनी प्रावधान है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को सीमाज्ञान करने का अवैध अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया ही धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं उन पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित है, कानूनन लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर के स्तर पर उसकी देखरेख में ही सीमा विवाद होने की स्थिति में सीमाज्ञान की कार्यवाही की जा सकती है या उसके उपस्थिति में कराई जा सकती है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में विहित क्षेत्राधिकार को तहसीलदार शाहपुरा को डेलिगेटेड करके अपने में निहत क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की कार्यवाही एक साथ निष्पादित नही की जा सकती। प्रथमतः दोनों पक्षों की उपस्थिति में उनको पूर्णतः साक्ष्य, समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदत्त करते हुय सीमांकन किये जान का कानूनी प्रावधान है। सीमाकंन के दौरान आई आपत्ति को स्वयं लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर अपने स्तर पर दोनों पक्षों की आपत्तियों को सुनकर निपटारा करने का कानूनी प्रावधान है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विधि विरूद्ध तरीके से लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा अपने ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कानूनी प्रावधानों के विपरित दिनांक 05.01.2022 को मुतदाविया आराजीयात के बाबत सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने का इकजाई अवैध आदेश जारी करने में अहम कानूनी भूल किये जाने के कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही अपूर्ण प्रार्थना पत्र था अपीलाधीन खसरा नम्बर 985 व 986 का तथाकथित सीमाज्ञान किसी भी पडौसी खातेदार की उपस्थिति में नही किया गया तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 985, 986 से चिपकते हुये प्रत्येक पड़ौसी खातेदार को न तो फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाया गया तथा ना ही सम्पूर्ण पड़ौसी खातेदारान को किसी भी प्रकार से साक्ष्य, समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। खसरा नम्बर 985 के चारों ओर चिपकते हुये खसरा नम्बर 984, 985/2 तथा खसरा नम्बर 986 के चारों ओर चिपकते हुये खसरा नम्बर 982, 987, 986/1, 984/1, 1213 के भू अभिलिखित खातेदार काश्तकारान को भी न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान मुकदमा बनाया गया तथा ना ही उनकी उपस्थिति में कोई सीमाज्ञान किया गया जबकि विधि के प्रावधानों की पालना मे सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढी किये जाने वाले खसरा नम्बर के चारों ओर चिपकते हुये खसरा नम्बरान के काश्तकारों की उपस्थिति में उनको पूर्णत साक्ष्य, समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करने का कानूनी प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी प्रावधानों की तोहीन करने अपने में निहित कानूनी हक अधिकारों का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील एवं लिखित बहस के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर का प्रकरण संख्या 54/2020 निर्णय दिनांक 27.01.2021 बउनवानी पंकज कुमार व अन्य बनाम दयालराम व अन्य को निरस्त फरमाया जावें।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 985 रकबा 0.02 हैक्टयर व खसरा नम्बर 986 रकबा 1.02 हैक्अयर ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा में स्थित है तथा तहसीलदार शाहपुरा के आदेश दिनांक 08.10.2020 की पालना में पटवारी हल्का बिदारा व अन्य पटवारियों की उपस्थित में दिनांक 13.10.2020 को सीमाज्ञान किया गया है उक्त भूमि के समीप भूमि खसरा नम्बर 1003/1, 1004/1, 1005, 1006, 1007/1 कुल किता 5 खातेदार दयालराम प्रभूदयाल, परसराम पांचू भगवान सहाय द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि की सीमा के साथ छेड़छाड़ की जाती है एवं आये दिन अन्य खातेदारों द्वारा परेशान किया जाता रहा है जिससे रेस्पोडेन्ट काफी परेशान रहता था ऐसी परिस्थितियों रेस्पोडेन्ट को अपनी हक अधिकार की आराजी की पत्थरगढ़ी कराया जाना लाजमी होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का व साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु उसका सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार कानूनन प्रदत्त है। ऐसे में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट को किसी प्रकार का उज्रात करने का कानूनन अधिकार नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने जिस निर्णय दिनांक 27.01.2021 की अपील की है वह निर्णय मात्र पत्थरगढी का है जिसमें हाल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने केवल मात्र अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 985 व 986 वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा की पत्थगरढ़ी करवाने बाबत अनुतोष चाहा था जिस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 27.01.2021 द्वारा ना केवल प्रार्थी/हाल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 985 व 986 के बाबत आदेश किये बल्कि साथ ही साथ हाल अपीलाथीगण के खसरा नम्बर 1003/1, 1004/1, 1005, 1006, 1007/1 के बाबत भी आदेश पारित किये अर्थात अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों ही पक्षों की भूमि की सीमाज्ञान/ पत्थरगढी बाबत आदेश पारित किये थे अर्थात केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के आधार पर मौके पर सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी मात्र होनी थी जिस निर्णय से अपीलार्थीगण स्वयं ही संतुष्ट थे तथा उक्त आदेश की पालना करवाने बाबत स्वयं अपीलार्थी की ओर से भी दिनांक 08.02.2021 को प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 08.02.2022 को सक्षम राजस्व अधिकारियों की टीम जिसमें नायब तहसीलदार, गिरदावर, पॉच विभिन्न हल्का पटवारी व सम्बन्धित थाना अधिकारी का जाब्ता द्वारा सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवा दी गई अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के निणर्य दिनांक 27.01.021 की पालना करीब एक वर्ष बाद दिनांक 08.02.2022 को हो चुकी है। ऐसे में अब अपील में चाहा गया अनुतोष फौत (अबैट) हो चुका है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि के साथ–साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की आराजी का भी नियमानुसार ईडीएस मशीन का शुल्क जमा करवाकर ईडीएस मशीन से सीमाज्ञान करवाने के आदेश दिये गये है तथा उक्त आदेश की पालना में सीमाज्ञान ईडीएस मशीन बन्दोबस्त विभाग की मूल सीट द्वारा सीमाज्ञान करवाया जाने हेतु जिला कलक्टर जयपुर को पत्र लिखे गये है तथा भू प्रबन्ध विभाग के पत्रांक 432 दिनांक 26.03.2021 के द्वारा सीमाज्ञान राजस्व ऐजेन्सी द्वारा करवाये जाने हेतु अवगत कराने पर राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रेस्पोडेन्ट की आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक 08.02.2022 को की जा चुकी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2021 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।